फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायणलाल **विपक्षी : श्री नाथु**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 101/18**

जीसीएमएस : 2018/00006

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.10.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की पूर्व पेशी पर एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 खातेदार होने से उसे अपने नाम दर्ज हिस्से भूमि का उपयोग–उपभोग, रहन, बैह, बक्षीस आदि का पूरा अधिकार हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के माध्यम से विपक्षी सं. 1 को विक्रय करने से पाबंद कराना चाहते है जबकि विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी सं. 1 की खातेदारी काश्तकार की भूमि में प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की घोषणा नहीं चाही गई हैं अर्थात प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया है कि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अतः यदि विपक्षी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:32:38 IST
Reason: SelfAttested

इससे विपक्षी सं. 1 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु विपक्षी सं. 1 के पक्ष में साबित होते हैं। अतः विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:32:38 IST
Reason: SelfAttested